भारत कृ-ाक समाज की 15वें वित्त आयोग से बैठक और हमारे द्वारा उन्हें दिए गए सुझाव निम्नप्रकार से हैंः

पृ-ठभूमि

- वित्त आयोग केन्द्र-राज्य के मामलों पर केन्द्रीत है और इसका गठन केन्द्र और राज्यों के बीच एकत्रित करों को बांटने के लिए किया गया है।
- 14वें वित्त आयोग ने कोई क्षेत्रीय अनुदान नहीं दिया था, बल्कि पंचायतों और आपदा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय संपर्क तैयार किए गए थे।
- 15वें वित्त आयोग की टी.ओ.आर. में कृ-ि का कोई उल्लेख नहीं है।

तथ्य

- किसान और कृ-ि क्षेत्र संकट के दौर में है, यह संकट बढता जा रहा है और रोजगार अवसर कहीं नहीं हैं।
- इसके अतिरिक्त 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से वेतन और पारिश्रमिक बढ चुके हैं, इस कारण ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। किसान भी ऐसा ही महसूस करते हैं, क्योंकि वेतन वृद्धि करने से 1 करोड कर्मचारियों के लिए 1 लाख करोड़ का वार्-िक बजट दिया गया है, तो क्या 50 करोड किसान इससे वंचित क्यों, जबकि वे अधिक के अधिकारी हैं।
- यह आम भावना बन चुकी है कि किसानों का परित्याग किया जा रहा है, ग्रामीण-शहरी देशान्तरण बढ रहा है, विश्वास खत्म होता जा रहा है और यही सामाजिक असंतो-ा है। यह अनिवार्य हो चुका है कि किसानों के संकट को दूर करने के लिए कुछ राशि आबंटित की जाऐ और बढती असमानता दूर की जाए।

प्रस्तुति 1

- वित्त आयोग कतिपय मानदंडों और महत्व के आधार पर राजस्व प्रोत्साहन देता है, जैसे जनसंख्या, क्षेत्र, वनोपज और आय की दूरी कम करने के लिए (अधिक निर्धन को अधिक निधियां)।
- 15वें वित्त आयोग को पुरस्कार और महत्व अथवा राजस्व प्रोत्साहन देते समय किसानों की आय और कृ-ि उत्पादकता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

प्रस्तुति 2

- वे राज्य जिनमें में विविध धंधे और राजस्व अर्जित करने के अधिक साधन हैं, वे ही अधिक आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।
- कृ-ि से दूर जाने वाले लोगों की जनसंख्या का मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः उन राज्यों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिऐ। जिन किसान परिवारों की आय में गैर कृ-ि घटक का भाग कम है (राज्यों के किसान परिवारों में किसी और रोजगार की कमी और उनका कृ-ि पर अधिक निर्भर होने से तात्पर्य है)।

प्रस्तुति 3

- देश की अधिकतम निधियां केन्द्रीय सरकार के पास रहती हैं, अतः यह महत्वपूर्ण है कि ध्यान दिया जाए कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं और केन्द्र की सरकार भी क्या कर रही है।
- भारत के संविधान के अनुसार कृ-ि एक राज्य का मामला है।
- केन्द्रीय सरकार राज्यों को आरक्षित क्षेत्रों जैसे कृ-ि, उर्वरक आर्थिक सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृ-ि बीमा इत्यादि जैसे क्षेत्र।
- संसाधनों का भाग 60:40 के अनुपात में है, जिसमें केन्द्रीय सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत है। भारतीय कृ-ि को विश्व स्तर पर ले जाने और कृ-ि विस्तार में सुधार करने के लिऐ यह आवश्यक है कि कृ-ि संबंधी योजनाओं के अनुपात को बदल कर 90:10 किया जाऐ, जिसमें केन्द्रीय सरकार का भाग 90 प्रतिशत हो।

क) कृ-ि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी
ख) रा-ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
ग) प्रधानमंत्री कृ-ि सिंचाई योजना
घ) बागवानी हेतु समेकित विकास के लिए मिशन
ड़) कृ-ि मशीनीकरण के संबंध में उप-मिशन
च) रा-ट्रीय कृ-ि विकास योजना (राज्यों को अनुमति दी जाए की वे आधारभूत सुविधाऐं जुटाने के लिऐ 100 प्रतिशत निधियों का उपयोग कर सकें)

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केन्द्रीय सरकार प्रीमियम का भुगतान करती है। यह योजना असफल हो चुकी है, अतः प्रत्येक राज्य को अनुमति दी जाए की वह फसल बीमा योजना तैयार करे, लेकिन केन्द्रीय सरकार प्रीमियम का भुगतान करे, इससे वांछित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि कृ-ि मंत्रालय ऐसा नहीं करता तो केन्द्रीय सरकार को अधिक मात्रा में प्रीमियम का खर्च उठाना होगा।

प्रस्तुति 4

- बहुत से राज्य इस निधि का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि वह अपने राज्य का भाग उस मात्रा में नहीं चुका सकते। अतः ऐसे आबंटन का कोई उपयोग नहीं है।
- जिन राज्यों की निधियां प्रयोग में नहीं आती वह अन्य राज्यों को अतिरिक्त राशि के रूप में दे दी जाती हैं। इससे उन राज्यों के लिए समस्या होती है जिनके पास अधिक राशि उपलब्ध नहीं होती।
- सामान्यतः जो राज्य कृ-ि पर कम निर्भर हैं वे अपने राज्य की सकल घरेलू उत्पाद के भाग के रूप में प्राकृतिक संसाधनों से अधिक आय प्राप्त कर लेते हैं।
- अतः किसी राज्य के लिए आरक्षित कृ-ि की निधियों का 50 प्रतिशत भाग राज्य के मामले के लिए उपलब्ध हो, चाहे अपने संसाधनों के द्वारा अपने भाग का भुगतान करने में असर्मथ हो।

प्रस्तुति 5

- संघीय ढांचे में केवल संघीय ढांचे पर ही वार्तालाप न हो बल्कि विवेक से काम लेना चाहिए।
- राज्यों को कृ-ि मंत्रालय अथवा ग्रामीण विकास अथवा रसायनों और उर्वरकों एवम अन्यों की दया पर छोडने के स्थान पर राज्यों को निधियां आबंटन करने के निर्णय में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिऐ, जो कि राज्यों के अपने मामलों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।

प्रस्तुति 6

- रा-ट्रीय स्तर पर कृ-ि के लिए समानता गलत है और राज्यों की अलग-अलग आवश्यकताऐं होती हैं, इसलिए राज्य को उसी विशे-ा कार्यक्रम में निवेश करना होता है जो कि उस राज्य के लिए उपयुक्त नहीं होता।
- उदाहरण के लिए सिंचाई के लिए भी राज्यों को विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे किस प्रकार से इस राशि का उपयोग किसी विशे-ा जल कार्यक्रम के लिए करना चाहे, न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा थोपा जाऐ - जैसे नहरों को जोडना अथवा भूतल में जल इकट्ठा करना, न कि केवल छिडकाव सिंचाई अथवा भूमि के ऊपर तालाब इत्यादि की खुदाई पर ही जोर दिया जाए।
- राज्यों को कृ-ि क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में निधियों के उपयोग में उदारता बरतने की अनुमति दी जाए।

प्रस्तुति 7

- प्रत्येक व-र्ा केन्द्रीय सरकार आयात निर्यात प्रतिबंध लगाकर अथवा खाद्य पदार्थों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए इनके भंडारण पर सीमा निर्धारित करती है, ताकि मुद्रास्फीति में समानता रहे, लेकिन इससे किसानों को भारी नुकसान उठाकर दंड भुगतना पडता है।

- इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार बाजार के मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच में जिन्स बिक्री के मूल्य के अंतर को राज्यों द्वारा वहन करने के लिए कहती है।
- उन सभी फस्लों के लिए जिनके लिए केन्द्रीय सरकार मुक्त बाजार की अनुमति नहीं देती है उसके लिए बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के खर्च को केन्द्रीय सरकार को उठाना चाहिए, इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य उन फसलों के लिऐ भी नियत किया जाए जिनके लिए यह नहीं दिया जाता।

'कीटनाशक प्रबंधन बिल 2017 के मसौदे' संबंधी संगो-ठी के कुछ अंश

प्रस्तावना में उल्लेख किया जाऐ की कीटनाशक का उपयोग अस्थायी है

श्री अमित खुराना, प्रोग्राम प्रबंधक, विज्ञान एवम पर्यावरण केन्द्र

विज्ञान एवम पर्यावरण केन्द्र पिछले 2 दशकों से कीटनाशक वि-नय पर कार्य कर रहा है।

विज्ञान एवम पर्यावरण केन्द्र यह नहीं चाहता कि कृ-ि मंत्रालय को बिल के नियंत्रण में कहीं होना चाहिऐ क्योंकि यह प्रमुख रूप में एक स्वास्थ्य और पर्यावरण का मुद्दा है जिसे स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण मंत्रालय को देखना चाहिऐ। विज्ञान एवम पर्यावरण केन्द्र का विश्वास है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इसे अपने अधिकार में लेना चाहिऐ। कृ-ि मंत्रालय का आदेश है कि उत्पादकता बढ़ाई जाऐ, इस कारण कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। यह मंत्रालय नहीं जानता की कीटनाशक खतरनाक रसायन हैं और इनका सुरक्षित और विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाना चाहिऐ। प्रवर्तक (प्रमोटर) एक नियामक नहीं हो सकता है, इस कारण हितों का द्वन्द्व है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी इस कार्य को देखती है और स्वीडन में स्वीडिश रसायन एजेंसी, यह एजेंसी स्वीडन की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का एक

भाग है जो कीटनाशकों का पंजीकरण करती है। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां कृ-ि मंत्रालय इस कार्य को करता हो।

भारत में वर्ग ᑦ के कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया जाऐः

- अत्यधिक वि-ैला होने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई कीटनाशकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया हैः
- अत्यधिक खतरनाक (वर्ग ᑦं)
- अधिक खतरनाक (वर्ग ᶓ)
- भारत में 18 वर्ग ᑦ कीटनाश्कों को अनुमति दी गई है। इनमें से कुछ अत्यधिक खतरनाक हैं, जिनका अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जो भारत में उपयोग किऐ गऐ कुल कीटनाशकों का 30 प्रतिशत है।
- इन पर कई देशों में प्रतिबंध है।
- भारत में कीटनाशकों से मृत्यु होना साधारण बात है।
- वर्ष 2014 में रा-ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने दुर्भाग्य वश कीटनाशक लेने से 7,365 मामले दर्ज किऐ थे, जिनमें से 5,915 की मृत्यु हो गई। व-र् 2015 में 7,672 मामलों में से 7,060 की मृत्यु हुई थी।
- वर्ग ᑦ के कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए।

वित्तीय दंड; कोई अपराधिक अभियोग नहीं

- किसी कंपनी के निर्णय करने वाले को जेल की सजा देने जैसा कोई ऐतिहासिक उदाहरण नहीं है। इसलिए अपराधिक मामले की आवश्यकता ही नहीं पडी।
- वित्तीय दंड देने पर ध्यान देना होगा जो अपराध के समान हो।
- भारत में संबंधित कीटनाशक की अभी तक की बिक्री के कुल मूल्य के अनुपात में दंड दिया जाऐ।
- यह केवल वा-र्िक कारोबार की राशि के आधार पर नहीं होना चाहिऐ, क्योंकि इसकी हानि केवल एक व-र् तक ही सीमित नहीं हो सकती।

न्यूनतम कीटनाशक का उपयोग करने पर कम ध्यान दिया जा रहा है, और कृ-ि मंत्रालय द्वारा उत्पादकता और गुणवत्ता बढाने पर अधिक बल दिया जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य और स्थायित्व को ध्यान में रखते हुऐ इस बिल का उद्देश्य न्यूनतम कीटनशाकों का उपयोग करने पर है। वास्तव में प्रस्तावना में ही यह उल्लेख किया जाना चाहिऐ की कीटनाशक का उपयोग अधिक समय तक नहीं किया जा सकता और इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिऐ।

भारतीय कृ-ि में आर्थिक और पर्यावरण संबंधि संकट में कीटनाशकों का अत्यधि योगदान है।

राज्य सरकारों का राज्यों में कीटनाशक प्रबंधन में अधिक भूमिका होनी चाहिऐ, किंतु वर्तमान बिल के मसौदे में ऐसा नहीं है, जो न तो कीटनाशक बोर्ड, न ही पंजीकरण समिति में उनकी भूमिका है। राज्यों को कीटनाशक के उपयोग को अनुमति न देने की अंतिम ाक्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि वे अपने स्थानिय कृ-ि भूगोल और जलवायु, भूमि और कीडों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं।

वि-ैलेपन से महारा-ट्र में कोई मृत्यु के बाद विज्ञान एवम पर्यावरण केन्द्र का विश्ले-ाण

विश्व स्वास्थ्य संघ ने कई कीटनाशकों को खतरनाक पाया है, विशे-ाकर वर्ग ए के कीटनाशकों को जिनमें से कम से कम 18 भारत में उपयोग किऐ जा रहे हैं। यह कुल बिक्री का 30 प्रतिशत है और विश्व के कई देशों में इन पर रोक है। इस बिल में वर्ग ए कीटनाशकों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाऐ।

वास्तव में यह वर्ग ए के कीटनाशकों के 2,000 टन से अधिक का मामला है, जो अत्यधिक वि-ैले या वि-ैले हैं। तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर पंजीकरण होना चाहिऐ। यह सुरक्षा और स्वास्थ्य के जोखिम को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिऐ।

जिन कीटनाशकों में कम खतरा है उनका पंजीकरण किया जाऐ और जो अत्यधिक खतरनाक हैं उन्हें एक उचित समय के अंदर हटा दिया जाना चाहिऐ। मूल्यांकन का आधार एहतियात और सावधानी के सिद्धांत पर होना चाहिऐ। इनका प्रत्येक 5 व-र् में किसी स्वतंत्र समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाए, न कि पंजीकरण समिति द्वारा। इस मूल्यांकन और समिक्षा को आम लोगों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए।

वि-ौलेपन और सुरक्षा के आंकडे केवल निजी कंपनियों तक ही सीमित न रहें, बल्कि सरकार को अपना एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिऐ, जिसमें आंकडों की सूचना को रखा जा सके। इस कार्य में केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड अथवा पंजीकरण समिति में समाज के नागरिकों और स्वास्थ्य विशे-ाज्ञों को ाामिल किया जाऐ।

पर्यावरण संदू-ाण अथवा स्वास्थ्य प्रभाव के लिऐ प्रदू-ित करने वाले को दंड देने का सिद्धांत महत्वपूर्ण है।

कीटनाशकों की बिक्री केवल एक प्रौफेशनल विशे-ाज्ञ की निर्धारित करने की प्रक्रिया पर की जाए।

कीटनाशकों की बिक्री करने वाली दुकानों द्वारा इन नुस्खों अथवा निर्धारित करने की विधियों का रिकॉर्ड रखा जाऐ।

इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की बिक्री को अस्वीकृत और गैरकानूनी माना जाए।

कीटनाशक अत्यंत खतरनाक रसायन होते हैं, जैसे की नशीली दवा। इनकी बिक्री कृ-ि जांच, खेत के आकार और फसल के प्रकार के आधार पर की जानी चाहिए।

रा-ट्रीय और क्षेत्रीय भा-ाओं में कीटनाशकों का विज्ञापन और प्रचार नहीं होना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा लेखापरीक्षित और कीटनाशक कंपनियों द्वारा पालन करने के लिऐ एक आचार संहिता अवश्य तैयार की जाऐ।

कीटनाशक प्रबंधन बिल 2017 को दुबारा तैयार करने की आवश्यकता

श्री सलिल सिंघल, पूर्व अध्यक्ष, क्रॉप केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया

क्या कीटनाशक प्रबंधन बिल 2017 निंयत्रण अथवा नियमन के बारे में है ? क्या यह पर्यावरण अनुकूल स्थाई उत्पादों का समर्थन करता है ? यह प्रभावी होने और तकनीकी का उचित उपयोग को सुनिशचित करने में कैसे कार्य करता है ?

इस दस्तावेज में 7 चुनौतियां हैं, जिनका बिल में समाधान करने की आवश्यकता है। पहली, जो कीटनाशकों की गुणवत्ता के सुधार के बारे में है। बिल के मसौदे में इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं दिया गया है। कीटनाशक प्रबंधन बिल कीटनाशक अधिनियम की तरह ही है, यह नई बोतल में पुरानी ाराब जैसा है।

पंजीकरण समिति को यह नहीं मालूम की व-र्ा 1972 से अभी तक कितने पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किऐ हैं। इस प्रकार हम क्या और किसे नियंत्रित कर रहे हैं ? राज्य पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते हैं और साथ ही निर्माण लाईसेंस भी। केन्द्रीय सरकार के पास इसका कोई आंकडा नहीं है। वह कौन सी आधार रेखा है जहां से गुणवत्ता में सुधार किया जाना है ?

सोचिऐ पंजीकरण कैसे किया जाता है, यह ऑनलाइन पर हवाई जहाज की टिकट खरीदने से भी सरल है। कोई भी इसे वेबसाईट पर ऐसा होते देख सकता है। कंपनियों के समूह ने 2 अलग-अलग नामों से 1 ही दिन में 784 पंजीकरण प्राप्त किऐ, इनमें टैकनीकल के लिऐ और निर्यात के लिए 35 भी ामिल थे। पंजीकरण समिति द्वारा व-र्ा 2016 में इस फैक्ट्री पर छापा मारा गया और पाया कि पूरी फैक्ट्री 1 एकड से भी कम भूमि पर बनाई गई है। उसमें 3 ोड थे, 1 में कपडे टंगे थे, दूसरे में कुछ उपकरण और तीसरे ोड में कुछ नहीं था।

इसके मालिक को जून, 2016 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु इसके बाद कुछ नहीं हुआ जैसा पंजीकरण समिति की वेबसाईट चेक करने से पता चलता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक है कि समिति की पिछली 10 बैठकों में इसी फर्म को 117 और पंजीकरण मिल चुके हैं।

व-र्ा 2006-07 में सूचना के अधिकार में आंध्र-प्रदेश के संबंध में यह मालूम हुआ कि 103 कंपनियों से नमूने लिऐ ही नहीं गए और 1 कंपनी से ही 793 नमूने लिऐ गए। एक अन्य कंपनी से 692 नमूने लिऐ गए थे। हरियाणा में भी 100 कंपनियों से कोई नमूना नहीं लिया गया, बल्कि एक ही कंपनी से 59 नमूने और एक अन्य कंपनी से 47 नमूने लिए गए थे।

कार्यशालाओं की स्थिति बहुत खराब है। वहां के उपकरणों और यंत्रों को बेकार पाया गया, द्रव्य पदार्थ खराब हो चुके थे, कोई कुशल मानव क्षमता नहीं थी, स्वच्छता, सफाई तथा नमूनों को रखने की कोई व्यवसथा नहीं थी।

भारत सरकार ने पद्म भू-ाण डॉद्म पदमानाभन बालाराम को समिति का प्रमुख बनाया था, समिति में भारत के उच्च वैज्ञानिक भी ामिल थे, उन्हें संपूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया की जांच और कीटनाशक अधिनियम की चुनौतियों और मुद्दों को देखने का कार्य दिया गया था। उन्होंने पाया की यहां की सुविधाओं की स्थिति भयानक थी और उन्होंने इसमें ार्म महसूस की।

सूचना के अधिकार के आंकडों की बात करें तो उत्तर-प्रदेश में असफल नमूनों का प्रतिशत 16.86, हरियाणा में 8.17, महारा-ट्र 6.78, गुजरात में यह केवल 4.55 प्रतिशत था। इससे क्या अंदाज लगा सकते हैं। क्या उद्योगपती और निर्माता

अलग-अलग राज्यों के लिऐ अलग गुणवत्ता के उत्पाद के बनाते हैं, अथवा इन विश्ले-ी कार्यों में वास्तव में कुछ अधिक त्रुटियां हैं।

अंत में नए और सुरक्षित कीटनाशकों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिऐ डॉ॰ बालाराम ने कहा कि केवल 280 कण पंजीकृत किए गए थे। इनमें से अधिकतम वि-ैले थे। 50 व-र् के अनुभवी होने के कारण यह कहा जा सकता है कि भारतीय पंजीकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सुरक्षित और अच्छा कण भारत न आ सके। पाकिस्तान और वियतनाम में 500 पंजीकरण हुऐ, संयुक्त राज्य अमेरिका में 700 कण, किंतु भारत में केवल 280। इसका कारण आंकडों का रख-रखाव विवादात्मक है और साथ ही राजनैतिक भी। इसके लिए तर्क दिया जाता है कि उत्पादों के मूल्य बढ जाऐंगे और स्थानिय उद्योगों को हानि होगी।

सरकार को कृ-ि और किसानों की दृ-ि से पंजीकरण प्रक्रिया पर विचार करना चाहिऐ, न की उद्योग को ध्यान में रखकर। पिछले 5-7 व-ों में संपूर्ण नियामक ॄासन भारतीय उद्योग के कतीपय वर्ग द्वारा चलाया जा रहा है, न कि भारतीय कृ-ि अथवा किसान अथवा सुरिक्षत और बेहतर उत्पादों के लिऐ। फिलहाल इस अधिनियम को तरफ रखने कि आवश्यकता है और सर्वप्रथम सोचा जाऐ कि क्या प्राप्त करना है और इसके लिए क्या किया जाऐ।